भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 889

1 मार्च, 2016 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना

889. श्रीमती ज्योति धुर्वेः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

मोहम्मद फैज़लः

श्री बी. विनोद कुमारः

कुमारी सुष्मिता देवः

कुँवर हरिवंश सिंहः

एडवोकेट जोएस जॉर्जः

श्री राजू शेट्टीः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजराः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री कलिकेश एन. सिंह देवः

श्री आनंदराव अडसुलः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

डॉ. प्रभास कुमार सिंहः

श्री शैलेश कुमारः

श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

डॉ. सी. गोपालकृष्णनः

श्री एम. के. राघवनः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री अर्जुन राम मेघवालः

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

श्री गोपाल शेट्टीः

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डीः

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

श्री धनंजय महाडीकः

श्री हरिनरायन राजभरः

डॉ. शशि थरूरः

डॉ. जे. जयवर्धन

श्री सी.एस. जयदेवनः

डॉ. भोला सिंहः

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री राजीव सातवः

श्री राजेश वर्माः

श्री चिन्तामन नावाशा वांगाः

श्री एम. आई. शनवासः

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

श्री विद्युत वरण महतोः

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधनः

श्री ज्योतिरादित्य माध्वराव सिंधियाः

डॉ. मनोज राजोरियाः

श्री चरणजीत सिंह रोड़ीः

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः

श्री सुशील कुमार सिंहः

श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

श्री सी. आर. चौधरी:

श्री टी. राधकृष्णनः

श्री सुमेधनन्द सरस्वतीः

श्री लल्लू सिंहः

श्री वी. पन्नीरसेलवमः

श्री बी. सेनगुट्टुवनः

श्री अजय मिश्रा टेनीः

श्री राहुल शेवालेः

श्री आघलराव पाटील शिवाजीरावः

श्री राहुल कस्वां:

कुमारी शोभा कारान्दलाजेः

श्रीमती संतोष अहलावतः

श्री धर्मेन्द्र यादवः

श्री दुष्यंत चैटालाः

श्री भोला सिंहः

श्री बैजयंत जे॰ पांडाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को दिए गए मुआवजों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नामक कोई नई फसल बीमा योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत किसानों को रबी फसल के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत अगले एक वर्ष में राज्य-वार कितने किसानों को शामिल किया जाएगा और इसके क्या-क्या फायदे है;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार गैर-ऋणधारक किसानों, काश्तकार किसानों और बटाईदारों को पीएमएफबीवाई के दायरे में लाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) तथा परिवर्धित एनएआईएस को नई फसल बीमा योजना द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है जिनमें खामियां हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी किसानों के लिए इस योजना को लाभकारी बनाने के लिए उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) से (ड.) जी हां। भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनुमोदन किया है तथा यह योजना आगामी खरीफ 2016 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की वर्तमान योजनाओं के स्थान पर लागू की जाएंगी। पुरानी योजनाओं की तुलना में निम्नलिखित आधारों पर इस योजना में संशोधन किया गया है- किसानों के लिए अखिल भारतीय आधार पर निम्नतम व एकसमान प्रीमियम दर अर्थात् सभी रबी, खरीफ व वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए क्रमश: अधिकतम 1.5 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत प्रीमियम; बीमित राशि में कोई कमी नहीं होने के कारण प्रीमियम पर कोई सीमा नहीं होना; प्रत्येक खेत में आकलन के लिए ओलावृष्टि व भू-स्खलन के अलावा स्थानीकृत आपदा के रूप में आप्लावन को शामिल किया गया है; चक्रवातीय व बेमौसमी वर्षा के कारण फसलोपरांत हानियों के लिए प्रावधान, अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीमा कम्पनियों के लिए क्लस्टर/समूह आधार पर जिला/क्षेत्र तथा अधिक लंबी अवधि के लिए आवंटन तथा

साथ ही दावों के शीघ्र निपटान के लिए फसल कटाई प्रयोगों आदि के चित्र लेने के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी व स्मार्ट फोन का उपयोग भी शुरू किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध** पर है।

किसानों द्वारा देय प्रीमियम दरों, बीमा कम्पनी के चयन तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) को तर्कसंगत बनाया गया है तथा इसे पीएमएफबीवाई के समतुल्य बनाया गया है।

यह योजना ऋणी, गैर-ऋणी, काश्तकारों, बटाईदारों सहित सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। बीमांकिक आधार पर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा लेकिन किसानों द्वारा देय प्रीमियम के अलावा व्यय को 50:50 आधार पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में अगले 2-3 वर्षों में वर्तमान में देश के सकल फसलित क्षेत्र कवरेज को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना परिकल्पित है। फसल बीमा योजनाओं के लाभ के बारे में किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सरकार व्यापक प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रही है। अन्य पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण व प्रशिक्षिण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

अनुबंध

<u>पीएमएफबीवाई की मुख्य विशेषताएं</u>

i. गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण हुए फसल नुकसान के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना जिससे किसानों की आय को स्थिर बनाया जा सके और नवाचारी पद्धतियों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

ii. फसल चक्र-बुवाई पूर्व से लेकर बुवाई पश्चात तक की हानियों के जोखिम कवरेज को बढ़ाना।

iii. वृहत हानि के दावे के निपटान के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण। अधिसूचित बीमा इकाई को प्रमुख फसलों के मामले में ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर तक घटा देना।

iv. सभी खरीफ फसलों, रबी फसलों व वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा अदा किए जाने वाला क्रमश: 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत व 5 प्रतिशत का एकसमान अधिकतम प्रीमियम।

v. किसानों द्वारा देय प्रीमियम व बीमा शुल्क की दर का अंतर केंद्र एवं राज्य द्वारा समान रूप से शेयर किया जाएगा।

vi. ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए एक समान सीजनैलिटी डिसिप्लीन।

vii. बिना कोई कटौती किए पूर्ण बीमित राशि के लिए किसानों को दावा प्राप्त करने के लिए प्रीमियम की अधिकतम सीमा तथा बीमित राशि में कटौती के प्रावधान को समाप्त करना।

viii. प्रत्येक खेत में आकलन के लिए ओलावृष्टि एवं भूस्खलन के अलावा स्थानीकृत आपदा के रूप में आप्लावन को शामिल किया गया है।

ix. देशभर में खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों के लिए चक्रवात व बेमौसमी वर्षा से सुरक्षा के लिए फसलोपरांत हानियों के लिए प्रत्येक खेत के आकलन का प्रावधान।

x. निवार्य बुवाई के लिए बीमित राशि की 25 प्रतिशत राशि तक दावों का आकलन।

xi. फसल नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक होने पर फसल मौसम के बीच आने वाली कठिनाईयों के लिए बीमित राशि की 25 प्रतिशत "खाते में" भुगतान। फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) आंकड़ों के आधार पर शेष दावे।

xii. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिसके अंतर्गत तीन वर्ष तक लम्बी अवधि के लिए बोली के माध्यम से बीमा कम्पनी को परिवर्तनशील जोखिम प्रोफाइल वाले जिलों के समूह आवंटित किए जाएंगे।

xiii. दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए फसल नुकसान के शीघ्र आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग टैक्नोलॉजी, स्मार्ट फोन व ड्रोन का उपयोग।

xiv. फसल बीमा पोर्टल की शुरूआत की गई है। बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता व सूचना के प्रचार के लिए इस पोर्टल का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

xv. सभी स्टेकहोल्डरों में योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इस उद्देश्य के लिए संसाधनों का उपयुक्त आवंटन पर ध्यान देना।

xvi. प्रत्येक बीमित बैंक खाते में दावा राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरित की जाएगी।

xvii. अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों के सभी गांवों में पर्याप्त प्रचार।

xviii. मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत प्रीमियम दरों में कमी की गई है तथा इन्हें नई स्कीम के समतुल्य बनाया है। इसके अलावा इस योजना में बीमांकिक प्रीमियम की अधिकतम सीमा तथा बीमित राशि में कटौती को हटाया गया है।

****